

#### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 638] No. 638] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर १, २०१६/भाद्र १८, १९३८

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 9, 2016/BHADRA 18, 1938

# सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2016

सा.का.िन. 876(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कितपय नियमों का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धाराओं 27, 41 और धारा 110 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारुप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती है से तीस दिन की अविध की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

- 2. कोई आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अविध की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।
- 3. आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, संयुक्त सचिव (परिवहन) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजी जा सकेगी।

## प्रारुप नियम

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (......संशोधन) नियम, 2016 है।
  - (2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 में, नियम 125घ में, कार्यान्वयन की तारीखों के स्थान पर "1 अप्रैल, 2017" शब्द रखे जाएंगे।

[सं. आरटी-11028/06/2016–एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

4374 GI/2016 (1)

टिप्पण :	मूल नियम,	भारत के	राजपत्र,	असाधारण,	भाग II,	खंड 3,	उपखंड (i) में	अधिसूचना सं.	सा.का.नि.
	590 (अ),	तारीख 2	2 जून, 19	89 को प्रका	शित किए	गए थे उ	गौर अंतिम बार	अधिसूचना सं.	(अ),
	तारीख		को संध	शोधित किए	गए।				

### MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th September, 2016

- **G.S.R. 876(E).**—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 27, 41 and section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by subsection (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of 30 days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;
- 2. Any objections or suggestions received from any person with respect to the said draft rules within the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.
- 3. Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110001, within the period specified above.

### **DRAFT RULES**

- 1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (\_\_\_\_Amendment) Rules, 2016.
  - (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- **2.** In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 125D, the dates of implementation shall be substituted as "1<sup>st</sup> day of April, 2017".

[F. No. RT-11028/06/2016-MVL].

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note:	The princip	pal rules w	ere publi	ished in th	ne Gazette	e of India	a, Extraordi	nary, Pai	rt II,	Section 3,	Sub-
	section (i)	vide notifi	cation nu	ımber G.S	S.R. 590(E	E), dated	the 2 <sup>nd</sup> June	, 1989 ar	nd la	st amended	l vide
	notification	n number G	i.S.R	(E) dat	ed	_•					